

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 47] नई दिल्ली, नवम्बर 29—दिसम्बर 5, 2015, शनिवार/अग्रहायण 8— अग्रहायण 14, 1937
No. 47] NEW DELHI, NOVEMBER 29—DECEMBER 5, 2015, SATURDAY/AGRAHAYANA 8— AGRAHAYANA 14, 1937

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 225.— केन्द्रीय सरकार, असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उप-धारा (2) के खंड (क) और (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन असम राइफल्स में सूबेदार मेजर (भवन और सड़क) पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

- (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असम राइफल्स सूबेदार मेजर (भवन और सड़क) श्रेणी 'ख' (योद्धक) भर्ती नियम, 2015 है।
(ख) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं इत्यादि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह सामाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता.**—

(1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा प्रवर्ग “शेप-1” में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति या प्रोन्नति के पात्र होंगे।

(2) ‘शेप-1’ से निम्नलिखित परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है :—

(क) कोड अक्षर शेप (एस एच ए पी ई), जो निम्नलिखित कृत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित, दिए गए कारकों के अधीन अधिकारी की उपयुक्तता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण है, अर्थात् :—

एस	—	मनोवैज्ञानिक
एच	—	श्रवण शक्ति
ए	—	उपांग (अपैन्डेजेज)
पी	—	शारीरिक क्षमता
ई	—	दृष्टि-शक्ति

(ख) प्रत्येक कारक के अधीन, किसी अधिकारी की कार्यात्मक क्षमता, प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 तक घटती हुई कार्यात्मक दक्षता उपदर्शित करते हुए उपदर्शित की जाएगी। कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे सिवाय उसके, जहां कोई अधिकारी सभी कारकों में श्रेणी-1 में हैं, वहाँ उसका प्रवर्ग एस, एच, ए, पी, ई, लिखने के बजाए शेप-1 लिखकर दर्शाया जा सकेगा। इन अंकों का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है :—

(1) कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए उपयुक्त ;

(2) सभी कर्तव्यों के लिए उपयुक्त, किन्तु कर्तव्यों में तीव्र दबाव या दोनों कानों की श्रवण शक्ति या आंखों की दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अंतर्ग्रस्त है या नहीं, पर निर्भर करते हुए कर्तव्यों के प्रकार और नियोजन उपयुक्त के क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं ;

(3) “एस” कारक को छोड़कर, नेमी या निष्क्रिय कर्तव्यों के लिए उपयुक्त, किन्तु ऊँचे स्थान (2700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी भू भाग पर और दीर्घ कर्तव्य भारों के लिए नियोजन उपयुक्त की परिसीमाएं हो सकती हैं ;

(4) अस्पताल में भर्ती होने या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अनुपयुक्त।

(5) कर्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अनुपयुक्त।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सूबेदार मेजर (भवन और सड़क)	01* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	वेतन बैंड-2, रु. 9300-34800 और ग्रेड वेतन रु. 4800/-	चयन

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की प्रणाली — सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा की गई भर्ती की दशा में, जिस ग्रेड से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति बैठती है, तो इसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
ऐसा सूबेदार (भवन और सड़क) रैंक धारण किए हुए असम राइफल्स के सदस्यों में से प्रोन्नति जिसका वेतन बैंड-2, रु. 9300-34800 और ग्रेड वेतन रु. 4600/- साथ ही अपनी श्रेणी में दो वर्षों की नियमित सेवा की हो और चिकित्सा प्रवर्ग शेष-1 हो। टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अपर महानिदेशक असम राइफल्स — अध्यक्ष 2. कर्नल (अभिलेख), असम राइफल्स — सदस्य 3. एक तकनीकी अर्हित अधिकारी, मेजर/लेफ्टिनेंट कर्नल सशस्त्र इंजीनियर — सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए/कार्मिक/एफआरआर/जीबी योधक/भवन और सड़क/2015]
जोगिन्द्र प्रसाद, अवर सचिव (पुलिस वित्त— VI प्रभाग)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 30th November, 2015

G.S.R 225.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (b) of sub-section (2) of Section 165 of the Assam Rifles Act, 2006 (47 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Subedar Major (Buildings and Roads) in the Assam Rifles in the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.**

(a) These rules may be called the Assam Rifles Subedar Major (Buildings and Roads) (Engineers) Group 'B' Post (combatised) Recruitment Rules, 2015.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.** – The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.** – The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Medical Fitness.-**

(1) Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, shall be eligible for appointment or promotion under the provisions of these rules.

(2) SHAPE- I means Medical Category defined as under :-

(a) Medical classification done by Medical Officer after assessing fitness of the officer under the given factors indicated by the code letters SHAPE, which represent the following functions :-

S	-	Psychological
H	-	Hearing
A	-	Appendages
P	-	Physical Capacity
E	-	Eye-Sight

(b) Functional capacity of an officer under each factor will be denoted by numeral 1 to 5 against each code letter, indicating declining functional efficiency. The numerals will be written next to the code letter, except that where an officer is in Grade-I in all factors, his category may be denoted by writing SHAPE-I instead of writing S₁H₁A₁P₁E₁. General evaluation of these numerals is as under:-

(i) fit for all duties anywhere;

(ii) fit for all duties but may have limitations as to type of duties and areas of employability depending on whether the duties involve severe stress or demand acuity of hearing or vision of both ears or eyes;

(iii) excepting “S” factor, fit for routine or sedentary duties but may have limitations of employability at high altitude (above 2,700 meters) extreme cold areas or hilly terrain and for long assignments;

(iv) temporarily unfit for duties on account of hospitalization or sick leave;

(v) permanently unfit for duties.

6. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Subedar Major (Buildings and Roads)	01*(2015) *Subject to variation dependent on workload	Group ‘B’ Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	Pay Band-2 Rs. 9300-34800/- plus Grade Pay Rs. 4800/-	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	By promotion	Promotion form amongst members of Assam Rifles holding the rank of Subedar (Buildings and Roads) in the Pay Band 2, Rs. 9300-34800/- plus grade pay Rs. 4600/- with two years regular service in the grade. Medical category must be SHAPE-1. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are considered for promotion, their seniors would also	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Additional Director General Assam Rifles – Chairman, 2. Colonel (Records), Assam Rifles- Member, and	Not applicable.

		be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service for more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next grade with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January 2006 i.e the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.	3. One Technically qualified officer, Major/Lieutenant Colonel Arm-Engineer – Member	
--	--	---	---	--

[F. No. A/Pers/FRR/GB Comb/B&R/2015]

JOGINDER PRASAD, Under Secy. (PF-VI)

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 226.—केन्द्रीय सरकार, असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उप-धारा (2) के खंड (क) और (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अंतर्गत असम राइफल्स में भर्ती, जहां तक उसका संबंध सूबेदार मेजर भंडारी तकनीकी (इंजीनियर) के पद से है, सूबेदार मेजर भंडारी तकनीकी (इंजीनियर) पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-**

(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असम राइफल्स सूबेदार मेजर भंडारी तकनीकी (इंजीनियर) समूह 'ख' (योधक) भर्ती नियम, 2015 है।

(ख) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.** — उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं इत्यादि.** — उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.** — वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,
या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता. —

(1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा प्रवर्ग “शेप-1” में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति या प्रोन्नति के पात्र होंगे।

(2) इस नियम के प्रयोजन के लिए ‘शेप-1’ से परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है :-

(क) कूट अक्षरों एस एच ए पी ई, जो निम्नलिखित कृत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा इंगित किए गए कारकों के अधीन अधिकारी की उपयुक्तता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण, अर्थात् :-

एस	—	मनोवैज्ञानिक
एच	—	श्रवण शक्ति
ए	—	उपांग (अपैन्डेजेज)
पी	—	शारीरिक क्षमता
ई	—	दृष्टि-शक्ति

(ख) प्रत्येक कारक के अधीन, किसी अधिकारी की कार्यात्मक क्षमता, प्रत्येक कूट अक्षर के सामने अंक 1 से 5 की कार्यक्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शायी जाएगी। कूट अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे सिवाय उसके, जहां कोई अधिकारी सभी कारकों में श्रेणी-1 में हैं, तो उसका प्रवर्ग एस₁, एच₁, ए₁, पी₁, ई₁, लिखने के बजाए शेप-1 लिखकर दर्शाया जा सकेगा। इन अंकों का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है :-

(1) कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए उपयुक्त ;

(2) सभी कर्तव्यों के लिए उपयुक्त, किंतु क्या कर्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों की श्रवण शक्ति या दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अंतर्ग्रस्त है या नहीं, पर निर्भर करते हुए कर्तव्यों के प्रकार और नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती हैं ;

(3) “एस” कारक को छोड़कर, दिनचर्या के कामों या बैठकर करने वाले कामों के लिए उपयुक्त, परन्तु इस सीमा के साथ कि अधिक ऊँचाई वाले स्थान (2700 मीटर से अधिक) में, अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी भूखंडों पर और दीर्घ कर्तव्य भारों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती हैं ;

(4) अस्पताल में भर्ती होने या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अनुपयुक्त ;

(5) कर्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अनुपयुक्त।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

8. **अन्यदेशीय की अपात्रता** — वह व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है, सिवाय उसने केन्द्र सरकार से लिखित में सम्मति ली हो, उसकी नियुक्ति इन नियमों के अधीन होगी :-

परन्तु इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस बल में नेपाल और भूटान के प्रजाजनों की नियुक्ति अथवा नियोजन के लिए वर्जित न करता हो।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सूबेदार मेजर भंडारी तकनीकी (इंजीनियर)	01*(2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह ‘ख’, अराजपत्रित, अनुसूचिवीय (योधक)	वेतन बैंड-2, रु0 9300-34800 और ग्रेड वेतन रु0 4800	चयन

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की प्रणाली — सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा की गई भर्ती की दशा में, जिस ग्रेड से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
नायब सूबेदार भंडारी तकनीकी (इंजीनियर) पद धारण करने वाले असम राइफल्स के सदस्यों में से प्रोन्नति जिसका वेतन बैंड-2 रू0 9300-34800 और ग्रेड वेतन रू0 4200 के साथ ही अपने ग्रेड में छः वर्षों की नियमित सेवा, मानचित्र पठन मानक एक पास और चिकित्सा प्रवर्ग शेष-1 हो। टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना :- 1. अपर महानिदेशक असम राइफल्स — अध्यक्ष 2. कर्नल (अभिलेख), असम राइफल्स — सदस्य 3. एक तकनीकी अर्हक अधिकारी, मेजर/लेफ्टिनेंट कर्नल आर्म इंजीनियर — सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए/कार्मिक/एफआरआर/जीबी योधक/एसकेटी इंजीनियर/2015]

जोगिन्द्र प्रसाद, अवर सचिव (पुलिस वित्त- VI प्रभाग)

New Delhi, the 30th November, 2015

G.S.R 226.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (b) of sub-Section (2) of section 165 of the Assam Rifles Act 2006 (47 of 2006), relating to the post of Subedar Major Store Keeper Technical (Engineers) the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Subedar Major Store Keeper Technical (Engineers) post in the Assam Rifles in the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement:-**

(a) These rules may be called the Assam Rifles Subedar Major Store Keeper Technical (Engineers), Group 'B' (Combatised) Recruitment Rules, 2015.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.** – The number of post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.** – The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person, –

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Medical Fitness.-**

(1) Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I shall be eligible for appointment or promotion under the provisions of these rules.

(2) SHAPE- I means Medical Category defined as under :-

(a) Medical classification done by a Medical Officer after assessing fitness of the officer under the given factors indicated by the code letters SHAPE, which represent the following functions :-

S	-	Psychological
H	-	Hearing
A	-	Appendages
P	-	Physical Capacity
E	-	Eye-Sight

(b) Functional capacity of an officer under each factor will be denoted by numeral 1 to 5 against each code letter, indicating declining functional efficiency. The numerals will be written next to the code letter, except that where an officer is in Grade-I in all factors, his category may be denoted by writing SHAPE-I instead of writing S₁H₁A₁P₁E₁. General evaluation of these numerals is as under:-

(1) fit for all duties anywhere;

(2) fit for all duties but may have limitations as to type of duties and areas of employability depending on whether the duties involve severe stress or demand acuity of hearing or vision of both ears or eyes;

(3) excepting “S” factor, fit for routine or sedentary duties but may have limitations of employability at high altitude (above 2,700 meters) extreme cold areas or hilly terrain and for long assignments;

(4) temporarily unfit for duties on account of hospitalization or sick leave;

(5) permanently unfit for duties.

6. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

8. **Ineligibility of aliens.**— No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall bar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Subedar Major Store Keeper Technical (Engineers)	01*(2015) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B' Non Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	Pay Band-2 Rs. 9300-34800 Grade Pay Rs. 4800	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	By promotion	Promotion from amongst members of Assam Rifles holding the Rank of Naib Subedar Store Keeper Technical (Engineers) in the Pay Band 2 Rs. 9300-34800 plus grade Pay Rs. 4200 with six years regular service in the grade, passed Map Reading Standard - One and Medical category must be SHAPE-1. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or six years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next grade with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental promotion committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Additional Director General Assam Rifles – Chairman, 2. Colonel (Records), Assam Rifles- Member, 3. One Technically qualified officer, Major/ Lieutenant Colonel Arm-Engineer – Member.	Not applicable.

		Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January 2006 (the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the commission.		
--	--	---	--	--

[F. No. A/Pers/FRR/GB Comb/SKT Engr/2015]

JOGINDER PRASAD, Under Secy. (PF-VI)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 227.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, केंद्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और वर्षा सिंचित खेती प्रणाली प्रभाग, साधारण केंद्रीय सेवा समूह “क” तकनीकी पदों, भर्ती नियम, 2007, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और वर्षा सिंचित खेती प्रणाली प्रभाग में समूह “क” पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और वर्षा सिंचित खेती प्रणाली प्रभाग समूह “क” पद भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना: यह नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होगा।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान: उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता: वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. अपर आयुक्त (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/वर्षा सिंचित खेती प्रणाली)	5 * (2015) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड- 4, 37400-67000 रु. और 8700 रु. का ग्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति; भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन किया जाए	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन स्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	i. 40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ii 60 प्रतिशत	प्रोन्नति:- ऐसा उप आयुक्त (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/वर्षा सिंचित खेती प्रणाली) वेतन बैंड -3, 15600-	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में)	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा

प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)	39100/- रु. ग्रेड वेतन 7600/-रु. सहित उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि में स्नातक डिग्री रखते हों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन या वर्षा सिंचित खेती प्रणाली के क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण किया हो। टिप्पण - 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण - 2:- प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या स्वैच्छिक संगठनों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों के ऐसे अधिकारी - (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100/- रु. ग्रेड वेतन 7600 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:- आवश्यक :- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सस्य विज्ञान या सस्य विज्ञान एक विषय के रूप में या कृषि या कृषि रसायन विज्ञान या मृदा विज्ञान या कृषि विस्तार या कृषि अर्थशास्त्र या कृषि वनस्पति विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या	विचार करने के लिए) 1. अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) - सदस्य 3. संयुक्त सचिव (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/वर्षा सिंचित खेती प्रणाली) - सदस्य	सहित) पर अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
---	--	---	---

वानिकी में मास्टर डिग्री अथवा कृषि इंजीनियरी में डिग्री।

(ii) केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के विभागों अथवा संघ राज्य के प्रशासनों अथवा कृषि विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा परिषदों अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों अथवा अर्ध सरकारी या स्वायत्त अथवा कानूनी संगठनों में कृषि वानिकी परियोजनाओं सहित मृदा एवं जल संरक्षण और अथवा वर्षा सिंचित या समेकित खेती और अथवा मृदा सर्वेक्षण अथवा समस्याग्रस्त मृदा सुधार और अथवा कृषि वानिकी सहित परियोजना प्रतिपादन के क्षेत्र में बारह वर्ष का अनुभव;

वांछनीय :-

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आवश्यक योग्यताओं में उल्लिखित विषयों में से किसी विषय में डॉक्टरेट डिग्री या कृषि इंजीनियरी में मास्टर डिग्री।

टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति या आमेसन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. उप आयुक्त (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/वर्षा सिंचित खेती प्रणाली)	7 * (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-3, 15,600- 39100/- रु. और 7600- रु. का ग्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9) लागू नहीं होता	(10) i. 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ii 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)	(11) प्रोन्नति:- ऐसा सहायक आयुक्त (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/वर्षा सिंचित खेती प्रणाली) वेतन बैंड -3, 15600-39100/- रु. ग्रेड वेतन 6600/-रु. सहित उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि में बेचलर डिग्री रखते हों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन या वर्षा सिंचित खेती प्रणाली के क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण किया हो। टिप्पण - 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण - 2:- प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या स्वैच्छिक संगठनों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या परिषदों के ऐसे अधिकारी -	(12) समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1. अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) - सदस्य 3. संयुक्त सचिव (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/वर्षा सिंचित खेती प्रणाली) - सदस्य	(13) प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
-----------------------------	---	--	--	--

(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100/- रु. ग्रेड वेतन 6600 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की हो ; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:-

आवश्यक :-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सस्य विज्ञान या सस्य विज्ञान एक विषय के रूप में या कृषि या कृषि रसायन विज्ञान या मृदा विज्ञान या कृषि विस्तार या कृषि अर्थशास्त्र या कृषि वनस्पति विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या वानिकी में मास्टर डिग्री अथवा कृषि इंजीनियरी में डिग्री।

(ii) केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के विभागों अथवा संघ राज्य के प्रशासनों अथवा कृषि विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा परिषदों अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों अथवा अर्ध सरकारी या स्वायत्त अथवा कानूनी संगठनों में कृषि वानिकी परियोजनाओं सहित मृदा एवं जल संरक्षण और अथवा वर्षा सिंचित या समेकित खेती और अथवा मृदा सर्वेक्षण अथवा समस्याग्रस्त मृदा सुधार और अथवा कृषि वानिकी सहित परियोजना प्रतिपादन के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव ;

वांछनीय :-

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आवश्यक अर्हताओं में उल्लिखित विषयों में से किसी विषय में डॉक्टरेट डिग्री या कृषि इंजीनियरी में मास्टर डिग्री।

टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

		टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति या आमेलेन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		
--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. सहायक आयुक्त (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/वर्षा सिंचित खेती प्रणाली)	7* (2015) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अनुसूचितवर्गीय)	वेतन बैंड-3, 15,600-39100/- रु. और 6600- रु. का ग्रेड वेतन	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,	आवश्यक :- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सस्य विज्ञान या सस्य विज्ञान एक विषय के रूप में या कृषि या कृषि रसायन विज्ञान या मृदा विज्ञान या कृषि विस्तार या कृषि अर्थशास्त्र या कृषि वनस्पति विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या वानिकी में मास्टर डिग्री अथवा कृषि इंजीनियरी में डिग्री। (ii) केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के विभागों अथवा संघ राज्य के प्रशासनों अथवा कृषि विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा परिषदों अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों अथवा अर्ध सरकारी या स्वायत्त अथवा कानूनी संगठनों में कृषि वानिकी परियोजनाओं सहित मृदा एवं जल संरक्षण और अथवा वर्षा सिंचित या समेकित खेती और अथवा मृदा सर्वेक्षण अथवा समस्याग्रस्त मृदा सुधार और अथवा कृषि वानिकी सहित परियोजना प्रतिपादन के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव ; वांछनीय :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आवश्यक अर्हताओं में उल्लिखित विषयों में से किसी विषय में डॉक्टरेट डिग्री या कृषि इंजीनियरी में मास्टर डिग्री।	लागू नहीं होता

				मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	टिप्पण 1 – अर्हताएं, अन्यथा अर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार लेखबद्ध करके लिखित में शैक्षणिक अर्हता में छूट दी जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों को लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, शिथिल की जा सकती हैं।
--	--	--	--	---	--

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	i. 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ii. 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति:- ऐसा सहायक आयुक्त (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/वर्षा सिंचित खेती प्रणाली) वेतन बैंड -3, 15600-39100/- रु. ग्रेड वेतन 5400/-रु. सहित उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि में स्नातक डिग्री रखते हों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन या वर्षा सिंचित खेती प्रणाली के क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण किया हो। टिप्पण - 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण - 2:- प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है,	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1. अपर सचिव (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/वर्षा सिंचित खेती प्रणाली) अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/वर्षा सिंचित खेती प्रणाली) - सदस्य 3. संयुक्त सचिव (प्रशासन) - सदस्य 4. निदेशक (कार्मिक) - सदस्य समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टिकरण पर विचार किए जाने हेतु) 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/ वर्षा सिंचित खेती प्रणाली) - सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव (कार्मिक) - सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

		उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4. सहायक मृदा संरक्षण अधिकारी (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/वर्षा सिंचित खेती प्रणाली)	7 * (2015) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-3, 15,600-39100/- रु. और 5400 - रु. का ग्रेड वेतन	चयन नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सस्य विज्ञान या सस्य विज्ञान एक विषय के रूप में या कृषि या कृषि रसायन विज्ञान या मृदा विज्ञान या कृषि विस्तार या कृषि अर्थशास्त्र या कृषि वनस्पति विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या वानिकी में मास्टर डिग्री अथवा कृषि इंजीनियरी में डिग्री। (ii) मृदा और जल संरक्षण या वर्षा सिंचित या समेकित खेती तथा मृदा सर्वेक्षण या समस्याग्रस्त मृदा का सुधार और केंद्रीय या राज्य सरकार के विभाग या संघ राज्य प्रशासन या मान्यता प्राप्त संस्थान या परिषद कृषि विश्वविद्यालय या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या अर्ध सरकारी या स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठन में कृषि वानिकी परियोजनाओं सहित परियोजना प्रतिपादन के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, कारणों को लिखित में लेखबद्धकर शैक्षणिक अर्हता में छूट दी जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), कारणों को लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम	आयु : नहीं शैक्षणिक अर्हता नहीं, किंतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि में बेचलर डिग्री रखते हों।

					प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, शिथिल की जा सकती हैं।
--	--	--	--	--	---

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए एक वर्ष। टिप्पण: सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए एक वर्ष की परीवीक्षा अवधि में 2 सप्ताह की अवधि की अनिवार्य इंडक्शन प्रशिक्षण।	i. 20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) ii 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति:- ऐसा वरिष्ठ तकनीकी सहायक (मृदा संरक्षण) ग्रेड-1 वेतन बैंड -2 (9300-34800 रु.) ग्रेड वेतन 4600/-रु. सहित उस ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा की हो और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन या वर्षा सिंचित खेती प्रणाली के क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण किया हो। टिप्पण - 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण - 2:- प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) 1. अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) - सदस्य 3. संयुक्त सचिव (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/वर्षा सिंचित खेती प्रणाली) -सदस्य समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन) -अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/वर्षा सिंचित खेती प्रणाली) -सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) - सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी - (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रु., ग्रेड वेतन 4600 रु. में नियुक्ति के पश्चात मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य पद पर उस ग्रेड में दो वर्ष नियमित सेवा की हो ; और (iii) वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु. में नियुक्ति के पश्चात विभाग में उस ग्रेड, मूल संवर्ग या समतुल्य पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हो ; और (ख) स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव :- टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का	
--	--	--

	साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	
--	--	--

[फा. सं. 12018/07/2010-स्था. II (भाग. 2)]

सुधीर कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)**

New Delhi, the 2nd December, 2015

G.S.R. 227.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Agriculture and Cooperation (Group 'A' Technical Posts in Natural Resource Management and Rainfed Farming System Division, General Central Service) Recruitment Rules, 2007 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' posts in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Natural Resource Management and Rainfed Farming System Division, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Natural Resource Management and Rainfed Farming System Division, Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.— These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.— The number of said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualifications.— No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time-to-time in this regard.

SCHEDULE

Name of post (1)	Number of post (2)	Classification (3)
1. Additional Commissioner (Natural Resource Management/ Rainfed Farming System).	5* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-ministerial.

Pay band and grade pay or pay scale (4)	Whether selection post or non-selection post (5)	Age limit for direct recruits (6)	Educational and other qualifications required for direct recruits (7)
Pay band 4, Rs. 37400-67000/- plus grade pay of Rs. 8700/-	Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees (8)	Period of probation, if any (9)	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods (10)
Not applicable	Not applicable	(i) 40% by promotion; (ii) 60% by deputation (including short-term contract)

In case of recruitment by promotion or by deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made (11)
Promotion: Deputy Commissioner (Natural Resource Management/Rainfed Farming System) in pay band 3, Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs. 7600/- with five years regular service in the grade and possessing Bachelor's Degree in Agriculture from a recognised university or institute and have successfully undergone two-to-four weeks training in the field or area of natural resources management or rainfed farming system in the Indian Council of Agricultural Research or any other recognised institution. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or public sector undertakings or semi-Government or autonomous or statutory organisations or agricultural universities or recognised research institutions or councils:- (A)(I) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(II) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-3, Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs. 7600/- or equivalent in the parent cadre or department; and

(B) possessing the following educational qualifications and experience:

Essential: (I) Master's Degree in Agronomy or Agriculture with Agronomy as a subject or Agricultural Chemistry or Soil Science or Agricultural Extension or Agricultural Economics or Agricultural Botany or Master's Degree in Forestry or Botany or Bachelor's Degree in Agricultural Engineering from a recognised university or institute;

(II) twelve years experience in the field of soil and water conservation and or rainfed or integrated farming and or soil survey or problem soil reclamation and or project formulation including agro-forestry projects in Central or State Government departments or Union Territory Administrations or agricultural universities or recognised research institutions or councils or public sector undertakings or semi-Government or autonomous or statutory organisations.

Desirable: Doctorate Degree in any of the subjects mentioned in essential qualifications or Master's Degree in Agricultural Engineering from a recognised university or institute.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

[Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.]

Note 2: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.

(12)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:

- | | |
|--|--------------|
| (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission | ... Chairman |
| (2) Joint Secretary (Administration) | Member |
| (3) Joint Secretary (Natural Resource Management / Rainfed Farming System) | Member |

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

(13)

Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Deputy Commissioner (Natural Resource Management/ Rainfed Farming System).	7* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-ministerial.	Pay band 3, Rs. 15600-39100/- plus grade pay of Rs. 7600/-.	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	(i) 50% by promotion (ii) 50% by deputation (including short-term contract).

(11)

Promotion:

Assistant Commissioner (Natural Resource Management/Rainfed Farming System) in pay band-3, Rs. 15600-39100/- with grade pay Rs. 6600/- with five years regular service in the grade and possessing Bachelor's Degree in Agriculture from a recognised university or institute and have successfully undergone two-to-four weeks training in natural resources management or rainfed farming system in the Indian Council of Agricultural Research or any other recognised institution.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

Deputation (including short-term contract):

Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories Administration or Agricultural Universities or recognised research institutions or councils or public sector undertakings or semi-Government or autonomous or statutory organisations or institutions:-

(A)(I) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or

(II) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-3, Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs. 6600/- or equivalent in the parent cadre or department; and

(B) possessing the following educational qualifications and experience:

Essential: (I) Master's Degree in Agronomy or Agriculture with Agronomy as a subject or Agricultural Chemistry or Soil Science or Agricultural Extension or Agricultural Economics or Agricultural Botany or Master's Degree in Forestry or Botany or Bachelor's Degree in Agricultural Engineering from a recognised university or institute;

(II) ten years experience in the field of soil and water conservation or rainfed or integrated farming and or soil survey or problem soil reclamation and or project formulation including agro-forestry projects in Central or State Government departments or Union Territory Administrations or recognised research institutions or councils or agricultural universities or public sector undertakings or semi-Government or autonomous or statutory organisations.

Desirable:

Doctorate Degree in any of the Agricultural disciplines mentioned in essential qualifications or Master's Degree in Agricultural Engineering from a recognised university or institute.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

[Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.]

Note 2: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:

- | | | |
|--|------|----------|
| (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission | | Chairman |
| (2) Joint Secretary (Administration) | | Member |
| (3) Joint Secretary (Natural Resource Management/Rainfed Farming System) | | Member |

(13)

Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Assistant Commissioner (Natural Resource Management/Rainfed Farming System).	7* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-ministerial.	Pay band 3, Rs. 15600-39100/- plus grade pay of Rs. 6600/-.	Selection.	Not exceeding 40 years. Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)

Essential:

- (I) Master's degree in Agronomy or Agriculture with Agronomy as a subject or Agricultural Chemistry or Soil Science or Agricultural Extension or Agricultural Economics or Agricultural Botany or Botany or Forestry or Bachelor's Degree in Agricultural Engineering from a recognised university or institute;
- (II) three years experience in the field of soil and water conservation or rainfed or integrated farming and soil survey or problem soil reclamation and project formulation including agro-forestry projects in Central or State Government department or Union territory Administration or recognised research institution or councils or agricultural university or public sector undertaking or semi-Government or autonomous or statutory organisation.

Desirable: Doctorate degree in any of the agricultural disciplines mentioned under essential qualification or Master's degree in Agricultural Engineering from a recognised university or institution.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	One year for direct recruits.	(i) 50% by promotion; (ii) 50% by direct recruitment.	Promotion: Assistant Soil Conservation Officer (Natural Resource Management/Rainfed Farming System) in pay band-3, Rs. 15600-39100/- plus grade pay of Rs. 5400/- with five years regular service in the grade and possessing a Bachelor's degree in Agriculture from the recognised university or institute and have successfully undergone two-to-four weeks training in natural resources management or rainfed farming system in the Indian Council of Agricultural Research or in any other recognised institution. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

(12)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: (1) Additional Secretary (Natural Resource Management/Rainfed Farming System) Chairman; (2) Joint Secretary (Natural Resource Management/Rainfed Farming System) Member; (3) Joint Secretary (Administration) Member; (4) Director (Personnel) Member. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: (1) Joint Secretary (Administration) Chairman; (2) Joint Secretary (Natural Resource Management/Rainfed Farming System) Member; (3) Director or Deputy Secretary (Personnel) Member.

(13)

Consultation with Union Public Service Commission necessary for making direct recruitment.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Assistant Soil Conservation Officer (Natural Resource Management/Rainfed Farming System).	7* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-ministerial.	Pay band 3, Rs. 15600-39100/- plus grade pay of Rs. 5400/-.	Selection.	Not exceeding thirty-five years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
Essential: (I) Master's degree in Agronomy or Agriculture with Agronomy as a subject or Agricultural Chemistry or Soil Science or Agricultural Extension or Agricultural Economics or Agricultural Botany or Botany or Forestry or Bachelor's Degree in Agricultural Engineering from a recognised university or institute; (II) possessing three years experience in the field of soil and water conservation or rainfed or integrated farming and soil survey or problem soil reclamation and project formulation including agro-forestry projects in Central or State Government department or Union territory Administration or recognised research institution or council or agricultural university or public sector undertaking or semi-Government or autonomous or statutory organisations. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union	Age: No. Educational qualifications: No, but must possess a Bachelors degree in Agriculture from a recognised university or institute.	One year for direct recruits and promotees. Note: The probation period of one year for direct recruits shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.

Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		
--	--	--

(10)	(11)
(i) 20% by promotion failing which by deputation (including short-term contract); (ii) 80% by direct recruitment.	Promotion: Senior Technical Assistant Grade-I (Soil Conservation) in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4600/- with three years regular service in the grade and have successfully undergone two to four weeks training in natural resources management or rainfed farming system in Indian Council of Agricultural Research or in any other recognised institution. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or agricultural universities or recognised research institutions or councils or semi-Government or autonomous bodies or statutory organisations :- (A)(I) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (II) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay band-2; Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4800/- or equivalent in the parent cadre or department; or (III) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4600/- or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. [Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.] Note 2: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.
(1) Chairman or Member, Union Public Service Commission Chairman;	

(2) Joint Secretary (Administration)		Member;	
(3) Joint Secretary (Natural Resource Management/Rainfed Farming System)		Member.	
Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:			
(1) Joint Secretary (Administration)		Chairman;	
(2) Joint Secretary (Natural Resource Management/Rainfed Farming System)		Member;	
(3) Director or Deputy Secretary (Personnel)		Member.	

[F. No. 12018/07/2010-E-II(Vol.II)]

SUDHIR KUMAR, Under Secy.

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 228.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण—सह—श्रम न्यायालय समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण—सह—श्रम न्यायालय समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण—सह—श्रम न्यायालय समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2013, में अनुसूची के अंतर्गत, स्तम्भ (10) के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

‘सीधी भर्ती द्वारा’

पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बिमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के अधीन आशुलिपिक के पद धारण किए हुए अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी ।

(i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए, या

(ii) वेतनमान—1, 5,200—20,200 रु. सहित 2,400 ग्रेड वेतन में आशुलिपिक के श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो ।

[फा. सं. ए-12011/01/2007-सी.एल.एस.-II]

एस. के. सिंह, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत सरकार के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सा.का.नि. 269, तारीख 28 अक्टूबर, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए ।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 2nd Decmeber, 2015

G.S.R. 228.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of Constitution, the President hereby makes the following amendments to the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Courts Group 'B' posts Recruitment Rules, 2013, namely: -

1. (1) These rules may be called the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Courts Group 'B' posts Recruitment (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Courts Group 'B' posts Recruitment Rules, 2013, in the Schedule, under column (10), for the existing entries the following entries shall be substituted, namely: -

“By Direct Recruitment.

Note: - Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers holding the post of Stenographer under the Central Government -

(i) holding analogous post on regular basis; or

(ii) with ten years regular service in the Stenographer Grade in the pay band-I, Rs.5,200-20,200 with the grade pay of Rs.2,400/-”

[F. No. A-12011/01/2007-CLS-II]

S. K. SINGH, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i), vide notification number G.S.R. 269, dated the 28th October, 2013.